उत्तर प्रदेश सरकार

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation, University
उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ
मोहान रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226 017
दूरभाष संख्या 0522–2999862,63,2998380,81,82
वेबसाइट : http://dsmru.up.nic.in

पत्रांक-542प्रत्रा0सं0 100F/छा0वृ0/डीएसएमएनआरयू/2020–21 लखनऊ दिनांक– 28 जुलाई, 2020

सूचना

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के शैक्षिक सत्र 2020–21 में आवेदन करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन (Authentication) होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वित्तीय वर्ष (financial year) 2020–21 से विद्यार्थियों के आवेदन पत्र आधार नंबर ऑनलाइन वेरीफिकेशन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से कराने के पश्चात सबमिट किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया भी इस वर्ष से प्रारंभ की जाएगी। आधार बेस भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों के आधार नंबर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Scholarship and fee reimbursement) की धनराशि अंतरित की जाएगी। विद्यार्थियों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पी.एफ.एम.एस (Public financial management system) से मैप होना चाहिए। विद्यार्थियों के स्तर पर निम्नांकित आवश्यक कार्यवाही की जानी है–

1. सभी विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर एवं राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंक में खुले बैंक खातों से लिंक शीघ्र करा लेना चाहिए।
3. हाई स्कूल अंकपत्र प्रमाण पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
4. हाई स्कूल अंकपत्र प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए। दोनों में एक ही जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए।
5. आधार कार्ड में यदि लिंग (Gender) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिए। यदि कोई छात्र/छात्रा अपना आधार अपडेट नहीं कराता/कराती है, तो इस वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेगा/सकेगी।
6. विद्यार्थियों द्वारा भरे गए आधार नंबर, विद्यार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग तथा जन्मतिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओ०टी०पी० भेजा जाएगा। उक्त ओ०टी०पी० को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में **scholarship.up.nic.in** के स्थान पर वेबसाइट परिवर्तित होकर **scholarship.up.gov.in** हो गई है। सभी विद्यार्थी नई वेबसाइट का उपयोग करने का कष्ट करें।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/कोर्स–कोआर्डिनेटर, विश्वविद्यालय।
4. विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

28/7/2020

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव